वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा

(कुलसचिव कार्यालय)

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांकः प.2/वमखुवि/स्था./19/3228 दिनांक 20.03.2020

कार्यालय–आदेश

श्रीमान् मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर के आदेश क्रमांक प.33(2)गृह–9/2019 दिनांक 19.03.2020 के द्वारा कोरोना वायरस की सुरक्षागत जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में विश्वविद्यालय के कार्य का सुचारू रूप से संचालन हेतु दिनांक 31.03.2020 तक आंशिक शट डाउन किया जाता है। दिनांक 31.03.2020 तक निम्न व्यवस्था रहेगी–

1. विश्वविद्यालय में 50 प्रतिशत गैर शैक्षणिक कार्मिक कार्यालय में एक दिन छोडकर एक दिन रोटेशन से उपस्थिति देंगे एवं शेष 50 प्रतिशत कार्मिक घर से अन्य आवश्यक कार्य करेंगे।
2. समस्त निदेशक विद्यापीठ कार्य की आवश्यकतानुसार संबंधित विद्यापीठ में पदस्थापित शिक्षकों के बारे में व्यवस्था देखेंगे।
3. विश्वविद्यालय के इकाई अध्यक्ष/निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र/प्रभारी अपने स्तर पर यह तय करेंगे कि रोटेशन के आधार पर 50 प्रतिशत कर्मचारी ही कार्य दिवस पर कार्यालय में उपस्थित रहे। जिन कार्मिकों की आवश्यकता हो, वे घर पर रहेंगे व WORK FROM HOME सुनिश्चित करेंगे, जिससे कि आवश्यक राजकीय कार्य निष्पादित करने में कोई बाधा नहीं आये।
4. कार्मिकों द्वारा अधिकारिक कार्य को ऑन–लाइन सम्पादित करने का प्रयास किया जायेगा। घर से कार्य कर रहे कार्मिकों को आवश्यकता होने पर कार्यालय में कभी भी बुलाया जा सकता है अथवा अन्य कार्य आबंटित किया जा सकता है।
5. इस दौरान किसी प्रकार का अवकाश एवं मुख्यालय छोडने की अनुमति साधारणतयाः नहीं दी जाएगी। कार्मिकगण अनावश्यक घूमने–फिरने पर बंदिश रखे जिससे वे बाहर के व्यक्तियों से कम से कम सम्पर्क में आयें।
6. उक्त आंशिक शट डाउन विश्वविद्यालय के अनुभाग अधिकारी, सहायक कुलसचिव, उप कुलसचिव, निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र, निदेशक विद्यापीठ व इसके समकक्ष व उच्च स्तर के अधिकारियों पर लागू नहीं होगा।
7. आवश्यक सेवाओं से संबंधित निम्न विभागों पर शट डाउन लागू नहीं होगा :–
   1. कुलपति सचिवालय,
   2. कुलसचिव कार्यालय,
   3. सम्पदा प्रकोष्ठ, क्रय व भण्डार प्रकोष्ठ,
   4. ई.एम.पी.सी.,
   5. विश्वविद्यालय अतिथि गृह।

उक्त आदेश माननीय कुलपति महोदय से अनुमोदित है इनकी पालना सुनिश्चित की जावे।

20/3/20

(एस.डी. मीना)

कुलसचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. श्रीमान् सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा, शिक्षा (ग्रुप–4) विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. समस्त इकाई अध्यक्ष/निदेशक क्षेत्रीय केन्द्र/प्रभारी, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा/जयपुर/जोधपुर/उदयपुर/बीकानेर/अजमेर/भरतपुर।
4. नियंत्रक वित्त, वमखुवि, कोटा।
5. सचिव, माननीय कुलपति महोदय, वमखुवि, कोटा।
6. प्रभारी, वेबसाइट, ई.एम.पी.सी. को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
7. समस्त अधिकारी/अनुभाग अधिकारी।
8. रक्षित पत्रावली।

(एन.एल. चाण्डक)
उप कुलसचिव (स्थापना)